भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *373

(दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

पारंपरिक मीडिया के स्थान पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग

***373. श्री आलोक शर्माः**

श्री जनार्दन मिश्राः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार का पारंपरिक मीडिया के स्थान पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग में मीडिया घरानों को किस प्रकार सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) सरकार द्वारा भारत में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को शासित करने और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि एआई-आधारित अनुशंसा एल्गोरिदम विश्वसनीय पत्रकारिता के स्थान पर सनसनीखेज समाचारों को प्राथमिकता न दे; और

(घ) सरकार द्वारा फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने और फर्जी खबरों के प्रसार के लिए मीडिया घरानों और ऑनलाइन मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *373 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): भारत में एक मजबूत और विविध मीडिया है जिसमें लगभग 1,45,000 मुद्रित प्रकाशन, 900 से अधिक प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म, समाचार पत्रों की ई-प्रतिकृति, डिजिटल समाचार पत्र, समाचार वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचार चैनल आदि सहित डिजिटल मीडिया पर कई प्रकाशक शामिल हैं। ये मीडिया संस्थाएं उभरते प्रौद्योगिकीय विकास के साथ अनुकूलन कर रही हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मीडिया की बढ़ती उपस्थिति में परिलक्षित हो रहा है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, मीडिया और मनोरंजन (एम एंड ई) क्षेत्र वर्ष 2023 में 8% से अधिक बढ़ गया है। इस वृद्धि का 70% हिस्सा नए मीडिया से आया है, जो अब इस क्षेत्र का 38% हिस्सा है। सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए समय-समय पर नीतिगत पहल करती है।

(ख) और (ग): एआई को शासित करने और जवाबदेही के मुद्दे पर, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचित किया है कि सरकार मानवाधिकारों और निजता को बनाए रखते हुए जवाबदेही, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यनीति में मजबूत नियामक ढांचे, पारदर्शी एआई नियमन और पूर्वाग्रह, भेदभाव और दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने सामाजिक प्रभाव के लिए समावेशन, नवाचार और अंगीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत को एआई क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनाने और सभी के लिए एआई के जिम्मेदार और परिवर्तनकारी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में इंडियाएआई मिशन को अनुमोदित किया है। इस मिशन के तहत 'सुरक्षित और विश्वसनीय एआई' स्तंभ जवाबदेह एआई विकास, तैनाती और अंगीकरण की आवश्यकता पर जोर देता है तथा 'जवाबदेह एआई परियोजनाओं' के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है जिसमें स्वदेशी उपकरणों और ढांचे का विकास, नवप्रवर्तकों के लिए स्व-मूल्यांकन जांच सूची और अन्य दिशानिर्देश एवं नियमन ढांचे शामिल हैं।

(घ): सरकार फर्जी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार जिससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कार्रवाई करती है। इस संबंध में, सरकार ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए विभिन्न सांविधिक और संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं।

प्रिंट मीडिया के लिए, समाचार पत्रों को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा लाए गए "पत्रकारिता के आचरण के मानकों" का पालन करना होता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ फर्जी/अपमानजनक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन को रोकता है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों की सामग्री को कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर कोई भी ऐसी सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, गलत और विचारोत्तेजक बातें और अर्धसत्य शामिल हों।

डिजिटल मीडिया पर प्रकाशकों और समाचार एवं समसामयिकी विषयों की सामग्री के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) में ऐसे प्रकाशकों के लिए आचार संहिता और तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों की जांच करने के लिए नवंबर, 2019 में पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सही सूचना पोस्ट करती है।

****